



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर 305002

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

स्पीड पोस्ट  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES OFFICE OF  
REGIONAL CONTROLLER OF MINES  
Makhupura Ind. Area, Ajmer - 305002

संख्या: राज/जय-113/चुनापत्थर-03/

खानकोड 38RAJ13008

दिनांक : 15-09-2022

सेवामें,

✓ श्री भूपेंद्र खोरपिया, खान एजेंट,  
मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,  
मोहनपुरा जोधपुरा चुनापत्थर खान, पोस्ट मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली,  
जयपुर-313108


विषय: राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के कोटपूतली तहसील के मोहनपुरा जोधपुरा गांव में स्थित आपकी मोहनपुरा जोधपुरा चुनापत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.07.2022 को आपके साथ श्री राहुल गोपालिया, खान प्रबन्धक एवं श्री पार्थ सार्थी मिश्रा, खनन भूविज्ञानी की उपस्थिति में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
11(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per review of mining plan approved vide letter No. 584(4)(3)(1868)/2021 RCOM Ajmer dated 15.07.2021 and following deviations are observed during inspection. (a) It was planned & proposed to make dump-5 for clay during the years 2020-21 & 2021-22 and dump-6 for waste during the year 2021-22. It is observed during inspection and from submitted drone image that dump-5 and dump-6 are not there at the proposed location. The waste material has been dumped over existing dump-1A, 1B and 3; whereas clay has been dumped over existing dump-2 & 4.
45(5)(b)	Following deficiencies are observed in the annual returns of the mines submitted for the year 2021-22 in Form-G-1. (a) The cost of pulverization is reported ₹ 90.34 per tonne in Part-VI item 3(ii) and ₹ 81.12 per tonne in Part-VII, which is mismatching and both these figures are too much on higher side in comparison to average pulverization cost of ₹ 18-23 per tonne in similar mines in Rajasthan state. The cost of pulverization for previous years is also on higher side.

03. उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 45(7)(a) के अन्तर्गत खान में खनन प्रचालनों और प्रेषणों को निलंबित का आदेश भी जारी किया जा सकता है।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय  
  
15.09.2022  
(गिरीश कुमार जांगिड)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
2. सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली, जिला-जयपुर 303108

1  
(गिरीश कुमार जांगिड)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक